

राजस्थान सरकार


निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(85)पीएस / निकाशि / 13 / 39

दिनांक: 30/7/13

—: आदेश:—

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ 14(1) वित्त(नियम) / 2013- 02 दिनांक 28.06.2013 के अनुसरण में परिशिष्ट -4 के नियम संख्या 21 के अन्तर्गत पुनरिक्षित वेतन शृंखला 6 में स्थिर वेतन (Fixed remuneration) प्राप्त कर रहे कार्मिकों के 6100/- में किये गये संशोधन अनुसार दिनांक 01.07.2013 से राशि रूपये 7900/- स्थिर वेतन रखीकृत किया जाता है।



निधि सिंह
निदेशक

क्रमांक: एफ 1(85)पीएस / निकाशि / 13

दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. "समर्त सहायक निदेशक, क्षैत्रिय कार्यालय, राजस्थान जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर।
4. प्राचार्य, समर्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (कार्मिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर